प्रपत्र–23.3

1.6

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि0मी0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ...जैंती...................तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

18.2.15

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

उप जिला अधिकारी
जैंती (अल्मोड़ा)

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

16D

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated....18.02.15............

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.602** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Chelchina-Basantpur Jaiti Motor Road (10.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Tuynra, Rosila, Badiyar Rait, Tikar, Ranak, Nayasangroli Village (s) in Jaiti tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.602** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

18.02.15
जिला अधिकारी
Signature.
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

ANNEXURE-I

1.6c

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy Commissioner, Almora on date ..18.12.15..... at time ..1:30PM... at Almora in which application claiming rights of **Tuynra, Rosila, Badiyar Rait, Tikar, Ranak, Nayasangroli Village area measuring 2.602 Hect. for the construction of Chelchina-Basantpur-Jaiti Motor Road (10.00 Km.)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Jaiti** sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose. .

18.12.15

Place: Almora

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Deputy Commissioner-cum-Chairman

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Dated:

District Level Committee.

L6D

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जैंती

उपखण्ड जैंती परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 1.595 है0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.007 है0 अर्थात कुल 2.602 है0 का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जैंती) की दिनांक 13.02.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती – रिंकू बिष्ट ...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती – रिंकू बिष्ट .... उपजिलाधिकारी जैंती .... अध्यक्ष
2– श्री अमरेश कुमार .... उप प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य
3– श्री भरत कुमार बिष्ट .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी लमगड़ा .... सदस्य/सचिव
4– श्री ~~[illegible]~~ श्रीमती जानकी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र काण्डार रेंत .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अर्न्तगत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 2.602 है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6E

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड.....जैंती..................... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अर्न्तगत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु कुल 2.602 है0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिला अधिकारी
जैंती (अल्मोड़ा)
उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिला अधिकारी
जैंती (अल्मोड़ा)
उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

1.6F

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......ल्यूनरा......
तहसील......भनोली........, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अन्तर्गत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 1.595 है0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.007 है0 अर्थात कुल 2.602 है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......ल्यूनरा............द्वारा दिनांक....10/2/15..........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......ल्यूनरा...........................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव	जानुली देवी सदस्य	दीवान राम प्रधान ग्राम प्रधान
पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र– ल्यूनरा वि0ख0–लमगड़ा (अल्मोड़ा)	क्षेत्र पंचायत बड़ियार रैंत, वि०ख०–लमगड़ा(अल्मोड़ा)	ग्राम पंचायत ल्यूनरा पो० आ० बसन्तपुर, वि०ख०–लमगड़ा (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10/4/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ल्यूनरा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	तारा चन्द्र पाण्डेय	तारा चन्द्र पाण्डेय
(2)	प्रताप सिंह	प्रतापसिंह
(3)	ईश्वरी दत्त त्रिपाठी	[illegible]
(4)	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
(5)	किशन सिंह	[illegible]
(6)	हेम कुमार	Hem
(7)	सुन्दर सिंह	Sundar
(8)	किरन पाण्डे	किरनपाण्डे
(9)	गोविन्द सिंह	~~ग्राम प्रधान~~ Govind
(10)	सुरेश राम	सुरेश राम

15/5/15
पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र-
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

अंजुली देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत बड़ियार रैंत,
वि०ख०-लमगड़ा(अल्मोड़ा)

दीवान राम
प्रधान
ग्राम पंचायत ल्यूनरा
पो० ऑ० बसन्तपुर,
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

1.6H

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–...टिकर

तहसील–...जैंती..........., जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें **जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग लम्बाई–10.00 कि0मी0** परियोजना के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.595** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.007** है0 अर्थात कुल **6.398** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टिकर....... द्वारा दिनांक 10-02-2015 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **टिकर** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र. टिकर ....
वि0ख0- लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
Ganga Datt
(गंगा दत्त)
प्रधान
ग्राम पंचायत टिकर
वि0ख0-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10/02/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– टिकर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१.	जीवन चन्द्र	जीवन चन्द्र
२.	लीलाधर.	लीलाधर
३.	चिन्तामणी	चिन्तामणी
४.	नन्दावल्लभ	नन्दा वल्लभ
५.	मोहन चन्द्र	M.C. Joshi
(6)	मदन सिंह	

(7) महेन्द्र सिंह
(8) बालम सिंह बिष्ट

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.. टिकर
वि0ख0- लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
Gangadutt
(गंगा दत्त)
प्रधान
ग्राम पंचायत टिकर
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

10-गोविन्द सिंह - गोविन्द सिंह
11-जगत राम - जगत राम
12- जगत सिंह - जगत सिंह
13- प्रताप सिंह - प्रताप
14 पूरन सिंह - Puran
15- गोपाल सिंह - G S Negi
16-धान सिंह - धान सिंह
17-लीलाधर जोशी - L Joshi
18- जीवन चन्द्र - जीवन चन्द्र

1.65

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–......तल्ला बिनौला
तहसील–......भनौली......; जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें **जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग लम्बाई–10.00 कि0मी0** परियोजना के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.595** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.007** है0 अर्थात कुल **6.398** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......तल्ला बिनौला द्वारा दिनांक...12/02/2015 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **रणक** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र......तल्ला बिनौला
विकास खण्ड–लमगड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

प्रधान,
ग्राम पंचायत तल्ला बिनौला
वि० ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)

1.6K

प्रपत्र–23.1

दिनांक 12-09-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– रणक

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	धनसिंह S/o त्रिलोकसिंह	धनसिंह
2-	रमेश सिंह S/o धनसिंह	रमेश सिंह
3-	नर सिंह S/o हीरासिंह	नर सिंह
4-	पूरनसिंह S/o कल्याणसिंह	[illegible]
5-	धर्मेन्द्रसिंह S/o हर्षसिंह	[illegible]
6-	बहादुर राम S/o जसोदराम	[illegible]

7- [illegible]

8- [illegible]

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.......................
विकास खण्ड–लमगड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

प्रधान,
ग्राम पंचायत तल्ला बिनौला
वि० ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)

9- [illegible] सिंह

10- पानीराम

11- [illegible]

12- दीवान सिंह

13- [illegible]

14- दीवान राम

15 शिवराम

1.66

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–......बड़ियार रैत

तहसील–...जैंती......, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें **जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग लम्बाई–10.00 कि0मी0** परियोजना के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.595** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.007** है0 अर्थात कुल **6.398** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...5(1) बड़ियार रैत... द्वारा दिनांक 05/02/2015 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बडियार रैत** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र बसन्तपुर..........
वि0ख0- लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

(हस्ताक्षर)
धनीराम
ग्राम प्रधान
बडियार रैत बसन्तपुर
वि0ख0 लमगडा (अल्मोड़ा)

VGM

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5/02/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– बडियार रैत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दीवान राम	दीवानराम
2-	हरीश बिष्ट	Harish Bisht
3-	मोहन राम	मोहन राम
4-	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मणसिंह
5-	दुलीराम	दुलीराम
6-	यमुना पाण्डे	Yamunapa

7 – कुबेर सिंह — Kailash

8 – कैलाश पाण्डे

(9) – कुबेर सिंह

(9) – जीवन सिंह

(10) – कैलाश चन्द

(11) – लक्ष्मण सिंह — Lsn

(12) – लाल सिंह — लालसिंह

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.. बलवन्त......
वि०ख०– लमगड़ा (अल्मोड़ा)

धनीराम

धनीराम
ग्राम प्रधान
बडियार रैत बसन्तपुर
वि०ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)

1-60

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–......त्यूनरा
तहसील–...जैंती........, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें **जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग लम्बाई–10.00 कि0मी0** परियोजना के निर्माण हेतु **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **1.595** हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि **1.007** है0 अर्थात कुल **6.398** हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ...त्यूनरा... द्वारा दिनांक...05/02/15 ....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **त्यूनरा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 ग्रा0 पं0 वि0 अ0

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र. त्यूनरा ....
वि0ख0- लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

दीवान राम
प्रधान
ग्राम पंचायत त्यूनरा
पो० ऑ०-बसन्तपुर,
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5/02/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– ल्यूनरा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गोविन्द राम	गोविन्द राम
2.	कमल राम	कमल राम
3.	हरीश राम	हरीश राम
4.	धनी राम	धनी राम
5.	दीवान राम	दीवान राम
(6)	राजेन्द्र सिंह	Rajendera.
7.	श्याम सिंह	श्यामसिंह
8.	रघुवर सिंह	रघुवरसिंह
	जीवन सिंह	[illegible]

ह० ग्रा० पं० अ०

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ल्यूनरा...........
वि० ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

दीवान राम
प्रधान
ग्राम पंचायत ल्यूनरा
पो० आ० बसन्तपुर,
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

10 गोविन्द सिंह गोविन्दसिंह
11 - प्रताप सिंह प्रतापराम
12 - बच्चन राम बच्चनराम
13 - बचेराम बचेराम
14 - पप्पू राम – पप्पूराम

1-6 P

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जयासंगोली
तहसील जैंती, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर के अर्न्तगत चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 1.595 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 1.007 हे0 अर्थात कुल 2.602 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नयासंगोली द्वारा दिनांक 10/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नयासंगोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

सदस्य
क्षेत्र पंचायत नया संगोली
वि० ख० – लमगड़ा
जिला – अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

प्रधान,
ग्राम पंचायत नया संगोली
वि० ख० लमगड़ा
जिला अल्मोड़ा

110 a

प्रपत्र--23.1

दिनांक 10/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	किशन पाण्डे	Kishan Pandey
2	प्रमोद जोशी	प्रमोद जोशी
3	[illegible] पाण्डे	[illegible]
4	बसन्त वल्लभ जोशी	[illegible]
5	[illegible] जोशी	[illegible]
6	कैलाश चन्द्र जोशी	[illegible]

सदस्य
क्षेत्र पंचायत [illegible]
वि० ख० - लमगड़ा
जिला-अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान

प्रधान,
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० लमगड़ा
जिला अल्मोड़ा